राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ. 10(34)नविवि/3/01पार्ट जयपुर, दिनांक :– 19 SEP 2011

परिपत्र

समय–समय पर विभिन्न नगर विकास न्यासों तथा विकासकर्ताओं व सी.आर.ई. डी.ए.आई. द्वारा स्पष्टिकरण चाहा गया है कि किन्हीं दो भूखण्डों के पुनर्गठन के उपरान्त अन्य भूखण्ड का पूर्व में पुनर्गठित भूखण्ड में संयुक्तिकरण किये जाने पर सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर पुनर्गठन शुल्क व बी.एस.यू.पी. शुल्क लिया जाता है, जो उचित नहीं है।

इस संबंध में सक्षम स्तर पर विचार कर निर्णय लिया गया है कि दो भूखण्डों के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित भूखण्ड में किसी अन्य भूखण्ड का संयुक्तिकरण किये जाने पर केवल बाद में जोडे जाने वाले भूखण्ड के क्षेत्रफल पर पुर्नगठन शुल्क लिया जावें। इसी प्रकार प्रथम चरण में पुनर्गठित भूखण्डों पर बी.एस.यू.पी. शुल्क लियां जा चुका है तो बाद में जोडे जाने वाले भूखण्ड के क्षेत्रफल पर ही बी.एस.यू.पी. शुल्क लिया जावें। यदि पूर्व में पुनर्गठन के समय बी.एस.यू.पी. शुल्क नहीं लिया गया है तो द्वितीय पुनर्गठन के समय सम्पूर्ण पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल पर बी.एस.यू.पी. शुल्क देय होगा।

15/9/2011

(एन.एल. मीना)
उप शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को अपने स्तर से समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करने हेतु।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू, जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
9. रक्षित पत्रावली।

15/9/20

उप शासन सचिव–तृतीय